

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/लेखा-1337/2026-1740

/पटना, दिनांक-09 सितम्बर, 2026

प्रेषक,

प्रीति सिन्हा
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

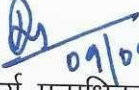
महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन से संबंधित विज्ञापन सामग्री संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में प्रकाशित होनेवाले सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों (उत्तर बिहार के जिला संस्करण सहित) में दिनांक-10.09.2026 (गुरुवार) को प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन


09/09/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक-1740

पटना, दिनांक- 09 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को IPRD (Information & Public Relation Department, Govt of Bihar) के E-Advertisement पोर्टल एवं पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09/09/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक- 1740

पटना, दिनांक- 09 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


09/09/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।



बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
अल्पकालीन सूचना

विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराने हेतु इच्छुक एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

पंचायत स्तर पर कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। सूचना एवं जन-संपर्क विभाग द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों से **दिनांक-16.09.2026 को अपराह्न 04:00 बजे** तक आवेदन आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्ताव **दिनांक-17.09.2026 को 10.30 बजे पूर्वाह्न** में विकास भवन, तृतीय तल, कमरा संख्या-317 के सभागार में खोले जाएंगे। इच्छुक एजेंसी किसी भी कार्यदिवस में गन्ना उद्योग विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक एजेंसी विकास भवन, द्वितीय तल, कमरा संख्या-203, उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के कार्यालय कक्ष में मुहरबंद आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कर सकते हैं।

निर्धारित शर्तें:-

1. नुक्कड़ नाटक एजेंसी सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, बिहार, पटना से निबंधित/सूचीबद्ध हो।
2. नुक्कड़ नाटक एजेंसी को विगत वर्ष 2025-26 के ऑडिट रिपोर्ट के साथ बैंक का पासबुक/बैंक का Statement, जो बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर के साथ हो, की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
3. इच्छुक नाटक एजेंसी विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर Script समर्पित करेंगे। आवश्यकतानुसार Script में परिवर्तन किया जा सकता है।
4. चयन समिति के समक्ष नुक्कड़ नाटक एजेंसी को प्रस्तुतीकरण देना होगा, जिसके आधार पर एजेंसी का चयन किया जायेगा।
5. चयनित एजेंसी को प्रतिदिन 03 (तीन) से 04 (चार) नुक्कड़ नाटक आवंटित पंचायतों में प्रस्तुत करना होगा।
6. सूचना एवं जन-संपर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर पर एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।
7. विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को जिला आवंटित किया जाएगा।
8. चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
9. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से एजेंसियों की सूचीबद्धता/निबंधन रद्द होने की स्थिति में दिया गया कार्यदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
10. विस्तृत जानकारी <https://state.bihar.gov.in/sugarcane> से प्राप्त की जा सकती है।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।